

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि.324.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग विभागीय कैटीन (कैटीन स्टाफ) भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग), विभागीय कैटीन में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (कैटीन स्टाफ) भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.**— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहता.**—वह व्यक्ति -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा **संच लोक सेवा आयोग से परामर्श करके** इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रबंधक श्रेणी II	01 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 6 (पद के पदधारियों को ऐसी दरों पर जो समय-समय पर सरकार निर्णय करें, विशेष भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख

					खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान या निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य या कारबार अध्ययन या अर्थशास्त्र या लोक प्रशासन में बैचलर डिग्री; और ii) सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त/ कानूनी संगठन में लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति और आमेलन): केन्द्रीय सरकार के अधिकारी:- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 या समतुल्य में छह वर्ष सेवा की हो; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 या समतुल्य में दस वर्ष सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में ऐसा विभागीय सहायक प्रबंधक-सह-भंडाररक्षक के जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और बाहरी व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर विचार करने के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों यदि

<p>विभागीय अभ्यर्थी जिसके पद की नियुक्ति के लिए चयन किया जाता है तो प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2:- (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन (3) वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> <p>टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति और प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-</p> <p>1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य</p> <p>3. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) - सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक प्रबंधक - सह - भंडार रक्षक	*01 (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-4 (25500-81100 रु.) टिप्पण- पद के पदधारियों को ऐसी दरों पर जो समय-समय पर सरकार निर्णय करें, विशेष भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>अर्हता -</p> <p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम</p> <p>(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में बैचलर डिग्री के साथ बुक कीपिंग या स्टोर कीपिंग में एक वर्ष का डिप्लोमा</p> <p>(ग) अनुभव:- किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडारों या लेखाओं को संभालने का तीन वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके</p>	नहीं	सीधे भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

(11)

प्रोन्नति:- (i) वेतन मैट्रिक्स (21700-69100रु.) के स्तर 3 में ऐसे हलवाई-सह-रसोईया में पांच वर्ष नियमित सेवा के साथ भंडारों या लेखाओं को संभालने का दो वर्ष अनुभव और लिपिक सीधी भर्ती के लिए यथा विहित शैक्षणिक अर्हता अर्थात् वाणिज्य के साथ 12वीं कक्षा में शैक्षणिक अर्हता रखता हो; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु.) के स्तर-2 में ऐसे लिपिकों ने आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार कि जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:-

केन्द्रीय सरकार के अधिकारी:

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु.) के स्तर-2 में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो;

(iii) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता रखते हो; और

(iv) सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडार या लेखा संभालने का तीन वर्ष अनुभव।

टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 (तीन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2:- प्रोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-

- | | |
|----------------------------|-----------|
| 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) | - अध्यक्ष |
| 2. अवर सचिव (प्रशासन) | - सदस्य |
| 3. अनुभाग अधिकारी | - सदस्य |

(13)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. लिपिक	02 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	स्तर-2 (19900-63200रु.)	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(क) वाणिज्य के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य</p> <p>(ख) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टंकण गति रखता हो (प्रत्येक शब्द के लिए पांच के दबाव के औसत पर 10500 के दबाव प्रति घंटा/9000 के दबाव प्रतिघंटा अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)</p> <p>टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति:- (i) ऐसा कैंटीन परिचर जिसने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रु.) वेतन के स्तर 1 में कम से कम तीन वर्ष सेवा की हो; और</p> <p>(ii) सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखन व्यवहार पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण।</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहीं उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य अनुभाग अधिकारी - सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. हलवाई-सह-रसोइया	02 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, (समूह 'ग'), अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-3 (21700-69100 रु.)	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के

				माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। यदि रोजगार समाचार/समाचार पत्र में पद विज्ञापित किया जाता है तो आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अंतिम तारीख तक होगी जिसे आवेदनों को मांगा गया है।
--	--	--	--	--

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) खान-पान में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा के साथ दसवीं कक्षा उत्तीर्ण (ख) सरकारी विभाग उपक्रम में पाक कला का दो वर्ष (ग) पाक कला में व्यवसाय निपुणता परीक्षा उत्तीर्ण की हो टिप्पण 1:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों न होने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु.) में स्तर 2 में ऐसा सहायक – हलवाई – सह रसोईया जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो</p> <p>टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण: प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार के अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो सदृश पद धारण कर रहे हों;</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स (19900-63200रु.) के स्तर-2 में ऐसा सहायक हलवाई-सह रसोइया जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) अर्हताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>(क) खान-पान में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और</p> <p>(ख) सरकारी विभाग/उपक्रम में अधिमानतः पाक कला का दो वर्ष</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>

(12)	(13)
समूह ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक हलवाई - सह - रसोइया	02 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित	स्तर-2 (19900-63200 रु.)	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। यदि रोजगार समाचार/समाचार पत्र में पद विज्ञापित किया जाता है तो आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अंतिम तारीख तक होगी जिसे आवेदनों को मांगा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) खान-पान में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा के साथ दसवीं कक्षा उत्तीर्ण (ख) सरकारी संगठन में पकाने का एक वर्ष का अनुभव; और (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारण करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा स्वच्छता, रखरखाव इत्यादि सहित खाना पकाने के संबंध में व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा। टिप्पण :- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रु.) के स्तर 1 में ऐसा कैंटीन परिचर जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। स्वच्छता के रखरखाव आदि सहित पकाने के संदर्भ में विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा व्यवसाय परीक्षण संचालित किया जाएगा। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा

हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय सरकार के अधिकारी:

(i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या

(ii) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900रु.) में स्तर-1 में कैंटीन परिचर जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो जिसमें हलवाई-सह रसोइया के हेल्पर के रूप में तीन वर्ष अनुभव रखता हो; और

(iii) खान-पान में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा रखता हो

(टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-</p> <p>1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष</p> <p>2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य</p> <p>3. अनुभाग अधिकारी - सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. कैंटीन परिचर	08 * (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (18000-56900 रु.)	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। यदि रोजगार समाचार/समाचार पत्र में पद विज्ञापित किया जाता है तो आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जिस पर आवेदनों को मांगा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह ' ग ' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:- 1. निदेशक/उपसचिव (प्रशासन) - अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन) - सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/03/2016-प्रशा. III]

अशोक कुमार, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 11th October, 2019

G.S.R. 324.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Departmental Canteen, Planning Commission (Canteen Staff) Recruitment Rules, 2014, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the various posts in Departmental Canteen, National Institution for Transforming India (NITI Aayog), namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Institution for Transforming India (Canteen Staff) Recruitment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of the posts, their classification, and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Manager Grade-II	1*(2019) *Subject to	General Central Service, Group B,	Level-6. (The incumbents of the post shall	Not Applicable	Not exceeding 30 years. Note-1: (Relaxable for

	variation dependent on work load.	non-Gazetted, non-Ministerial.	be entitled to draw Special Allowance at such rates as may be decided by the Government from time to time.)		Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note-2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	-----------------------------------	--------------------------------	---	--	--

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption, and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's Degree in Commerce or Business Studies or Economics or Public Administration from a recognised University or Institute; and (ii) two years experience in Accounts work in the Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous/ Statutory Organization. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government,	Not Applicable	Two years for direct recruits	By Composite Method (Deputation plus Promotion) failing which by direct recruitment

<p>for reasons to be recorded in writing, in case of Candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.</p>			
<p>In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made</p>	<p>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</p>	
(11)	(12)	(13)	
<p>Composite Method (Deputation plus Promotion): Officers under the Central Government :</p> <p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with six years service in Level-5 in the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the parent cadre/department; or (iii) with ten years service in the Level-4 in the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p> <p>Note 1: The departmental Assistant Manager-cum-Storekeeper in Level-4 in the pay matrix with ten years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note 2: (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this</p>	<p>Group 'B' Departmental Confirmation and Promotion Committee consisting of:- 1. Director/Deputy Secretary (Administration) - Chairman 2. Under Secretary (Administration) - Member 3. Section Officer (Administration) - Member</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>	

<p>appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.)</p> <p>Note 3: The maximum age limit for deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Manager-cum-Storekeeper	1*(2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100). Note: - The incumbents of the post shall be entitled to draw Special Allowance at such rates as may be decided by the Government from time to time.	Non-selection	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Qualification:-</p> <p>(a) B.Com from a recognised university; or</p> <p>(b) Bachelor Degree in any discipline from recognised university with one year Diploma in Book keeping/ Store Keeping; and</p> <p>(c) EXPERIENCE:- Three years working experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts.</p> <p>Note 1: The Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates, otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Central Government, is of the opinion that sufficient number of candidates</p>	No	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by Deputation and failing both by direct recruitment.

belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
---	--	--	--

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion :</p> <p>(i) Halwai-cum-Cook with five years regular service in the Level-3 in pay matrix (Rs. 21700-69100) - with two years' experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualification i.e. 12th Class with Commerce as prescribed for direct recruited Clerk.</p> <p>(ii) Clerks with eight years regular service in the level-2 in pay matrix (Rs. 19900-63200).</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service.</p> <p>Deputation :</p> <p>Officers of the Central Government :</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with eight years regular service in the level-2 in pay matrix (Rs. 19900-63200);</p> <p>(iii) possessing educational qualification as prescribed for direct recruitment under column (7); and</p> <p>(iv) three years' experience in handling Stores or Accounts in a government department or undertaking.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of:-</p> <p>1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman</p> <p>2. Under Secretary (Administration) —Member</p> <p>3. Section Officer —Member</p>	<p>Consultations with Union Public Service Commission not necessary</p>

<p>Note 3: The Departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Clerk	2*(2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19,900-63,200).	Non-selection.	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) 12th Class Pass or equivalent with Commerce; and (b) A typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depression Per Hour / 9000 key Depression Per Hour on an average of 5 Key Depressions for each word).</p> <p>Note 1: The Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates, otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	No	Two years for Direct Recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion :</p> <p>(i) Canteen Attendant with at least three years regular service in the level-1 in pay matrix (Rs. 18,000-56,900); and</p> <p>(ii) Two week training on Organizational Behavior, Communication Skill and Accounting Practices from Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) or any other recognised Institutes by Government of India or State Government.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion , their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service.</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmation) consisting of:</p> <p>1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman</p> <p>2. Under Secretary (Administration) —Member</p> <p>3. Section Officer —Member</p>	<p>Consultation with UPSC not necessary</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Halwai-cum-Cook	2*(2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21,700-69,100)	Non-selection	<p>18-25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/ News paper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) 10th Class Pass with Certificate/Diploma in catering; (b) two years cooking experience in a Government Department or Undertaking; and (c) to pass a trade Skill Test in Cooking. Note: The qualification(s) regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	No	Two years	Promotion failing which by Deputation and failing both by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion : Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in level-2 in pay matrix (Rs. 19,900-63,200). Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service. Deputation : Officers of the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis, or (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in the Level-2 in pay matrix (Rs. 19,900-63,200); and (b) possessing the qualifications and experience : (A) 10th Class Pass with a certificate/ diploma in catering; and (B) two years cooking experience in a Government Department/ Undertaking preferred. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of the receipt of applications. Note 2: The Departmental official in</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of:- 1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) —Member 3. Section Officer —Member</p>	<p>Consultations with the Union Public Service Commission not necessary.</p>

the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Assistant Halwai-cum-Cook	2*(2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19,900-63,200)	Non-selection	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 10th Class Pass with a certificate or diploma in catering. (b) One year cooking experience in the Government Organisations; and (c) to pass the Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc. shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate. Note: The Qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Promotion : (i) Canteen Attendant in the Level-1 in Pay Matrix (Rs. 18,000-56,900) with three years regular service. A Trade Test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the	Group 'C' Departmental Promotion Committee; consisting of : 1. Director/ Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) —Member 3. Section Officer —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

<p>cooking including maintenance of hygiene etc.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers of the Central Government :</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis, or</p> <p>(ii) Canteen Attendant in the Level-1 in Pay Matrix (Rs. 18,000-56,900) with three years regular service having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook; and</p> <p>(iii) possessing certificate/ diploma in catering.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p> <p>Note 2: The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Canteen Attendant	8*(2019) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service (Group 'C'), non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-1 (Rs. 18,000-56,900).	Not Applicable	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 for Government Servant) in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time. Note: The crucial date for

					determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News/Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent from recognised Board.	Not Applicable	Two years	Direct recruitment

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation); consisting of: 1. Director/Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) —Member 3. Section Officer —Member	Consultations with Union Public Service Commission not necessary

[F.No. A-12018/03/2016-Adm.III]

ASHOK KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि.325.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (स्टाफ कार ड्राईवर) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) में स्टाफ कार चालक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (स्टाफ कार चालक) भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना.**— ये नियम इनसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ-1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।